न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 559/2021

संतोष कुमार शर्मा.....वादी ।

बनाम्

क्लक्टर शर्मा वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

14.07.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। यह अभिलेख इन्टरभेनर आवेदक शारदा शर्मा के आवेदन दिनांक– 24.08.2022 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी0 पी0 सी0 के तहत आदेश हेतु नियत है। इस आवेदन में आवेदक का कहना है कि इस वाद में वादी तथा प्रतिवादीगण कपट संधि करके यह वाद दाखिल किये हैं तथा वाद के उभय पक्षकारों का उद्देश्य माननीय न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्यों के आधार पर डिक्री हासिल करना है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस वाद में विवादित सम्पत्ति का सम्बंध हस्तक्षेपक तथा प्रतिवादी सं0 1 के पिता स्व0 सुखारी शर्मा उर्फ ललीता प्रसाद से है। इस वाद भूमि में हस्तक्षेपक का 1/2 अंश हिस्सा कोपार्सनर के हैसियत से है, क्योंकि हस्तक्षेपक शारदा शर्मा और प्रतिवादी सं0 1 क्लक्टर शर्मा दोनों स्व0 सुखारी शर्मा उर्फ ललीता प्रसाद के द्वितीय पत्नी स्व0 ननकी देवी के तन से पुत्री एवं पुत्र हैं तथा ये भी विदित है कि पहली पत्नी स्व0 तेतरी देवी पति स्व0 सुखारी शर्मा उर्फ ललीता प्रसाद अपने पति से एक साल बाद ही गुजर गई तथा उनके तन से कोई संतान नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 1 पिता हैं एवं प्रतिवादी सं0 2 मॉ हैं एवं अन्य सभी पुत्र हैं तथा ये लोग आपस में मेली हैं तथा हस्तक्षेपक का हिस्सा हड़पने के लिए मौजूदा बंटवारा वाद गलत कुर्सीनामा के आधार पर वजूद में लाये हैं। हस्तक्षेपक अपने पति के साथ जबलपुर म0 प्र0 में रहती हैं तथा अपने हिस्से की सम्पत्ति की देख भाल हेतु आवेदक रामकुमार शर्मा को पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से मुख्तार आम नियुक्त किया है। पक्षकारगण आवेदक की सम्पत्ति आपस में बांटना चाहते हैं तथा इसके अलावे एक अन्य फरीक मु0 मूर्ति देवी का सम्पत्ति भी सम्मिलित कर लिये हैं। जबकि मूर्ति देवी का वारीसान कायम है। इस वाद में शारदा शर्मा जो सुखारी शर्मा की पुत्री है एवं उनका सुखारी शर्मा की सम्पत्ति में 1/2 का हिस्सा है, उन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता

लगातार
14.07.2023
अनुरोध करते हैं कि आवेदक शारदा शर्मा को इस वाद में बतौर प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रतिवादी द्वारा दिनांक–25.01.2023 को उक्त आवेदन के विरूद्ध प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि आवेदक का आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है। आवेदक बिना अधिकार वाले कथित मुख्तारनामा के बुनियाद पर मुकदमा में पक्षकार बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आवेदक द्वारा इस वाद को विलम्ब करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है तथा आवेदक रामकुमार शर्मा से प्रतिवादीगण की दुश्मनी है। आवेदक जिस कथित मुख्तारनामा के आधार पर अपने को मुकदमा में पक्षकार बनाने का आवेदन दिया है उसके कथित निष्पादक शारदा शर्मा ने अपने मुख्तारनामा में अपने पिता का नाम दर्ज नहीं किया है, बल्कि शारदा शर्मा अपने को स्व0 सुखारी शर्मा उर्फ ललीता प्रसाद की कथित पुत्री बनकर कथित मुख्तारनामा को अस्तित्व में लाई है। जबकि शारदा शर्मा स्व0 सुखारी शर्मा उर्फ ललीता प्रसाद की पुत्री नहीं है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि रामकुमार शर्मा से प्रतिवादीगण का पूर्व से अदावत चला आ रहा है जिसके कारण दबाव बनाने के लिए गलत मुख्तारनामा शारदा शर्मा से तैयार करवा कर इस वाद में पक्षकार बनाने का आवेदन दिया है जो खारिज करने योग्य है। इस वाद में पक्षकारों के बीच संधि पत्र दाखिल हो चुका है तथा उसके समर्थन में गवाही भी हो चुकी है। केवल दो गवाही होना शेष है। उसके बाद मुकदमें का निस्तारण होना बाकी है। प्रतिवादीगण कथित शारदा शर्मा को जानता वो पहचानता भी नहीं है तथा कथित शारदा शर्मा ने अपने को सुखारी शर्मा उर्फ ललीता प्रसाद की कथित पुत्री बता कर आवेदक ने यह जाल मुख्तारनामा का कागज दाखिल किया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि आवेदक ने अपने आवेदन के पारा–5 में जिस मूर्ति देवी के जायदाद के निश्वत जिक किया है उस मूर्ति देवी की जायदाद इस वाद में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा मूर्ति देवी ने अपने पूरी समपित्त का बक्शीसनामा अपनी पुत्री सोनामती देवी को लिख दिया तथा सोनामती देवी और उसके पति निसंतान मर गये तथा क्लक्टर शर्मा के बड़े पिता की पुत्री जिनकी जायदाद से सरोकार आवेदक को नहीं है और न होगा। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि उक्त आवेदन को खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि वर्तमान में यह अभिलेख सुलह के आधार पर प्रतिवादी के गवाही

लगातार

14.07.2023

हेतु नियत है। इसी बीच यह हस्तक्षेपक आवेदक शारदा शर्मा के तरफ से निबंधित मुख्तारनामा के आधार पर रामकुमार शर्मा द्वारा लाया गया है। यह निबंधित मुख्तारनामा दिनांक– 22.09.2021 को निबंधक कार्यालय, जबलपुर द्वारा निबंधित किया गया है, जिसे शारदा शर्मा द्वारा उक्त मुख्तारनामा में दर्ज जमीन का देखभाल, इस जमीन से सम्बंधित मुकदमा का देखभाल का अधिकार रामकुमार शर्मा को प्रदान की है। शारदा शर्मा का कहना है कि शारदा शर्मा एवं प्रतिवादी सं0 1 क्लक्टर शर्मा दोनों स्व0 सुखारी शर्मा के पुत्री एवं पुत्र हैं। दूसरी तरफ प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में कहते हैं कि शारदा शर्मा अपने मुख्तारनामा में अपने पिता का नाम नहीं लिखी है तथा शारदा शर्मा स्व0 सुखारी शर्मा की पुत्री नहीं है। अतः स्व0 सुखारी शर्मा के जायदाद में उसका कोई हक नहीं है। वर्तमान में आवेदक शारदा शर्मा स्व0 सुखारी शर्मा के पुत्री के रूप में रामकुमार शर्मा के माध्यम से इस वाद में पक्षकार बनना चाहती है। शारदा शर्मा स्0 सुखारी शर्मा की पुत्री है अथवा नहीं यह मुकदमा के विचारण के पश्चात ही इस पर कोई निर्णय किया जा सकता है। अतः आवेदक का यह आवेदन को स्वीकार किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक शारदा शर्मा को इस वादपत्र के प्रतिवादी सं0 7 के रूप में दर्ज करें। आवेदक शारदा शर्मा को निर्देश दिया जाता है कि अपना बयान तहरीरी जमा करें।

वास्ते दिनांक–01.9.23 बयान तहरीरी हेतु।

लेखापित

सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।